

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 283/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

लोहरा मुण्डा

सुकरू मुण्डाईन

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

05.12.20

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

आदेश


आवेदक लोहरा मुण्डा पिता स्व० सोमरा मुण्डा ग्राम-सावड़ा, पोस्ट-कुरसे, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने सुकरू मुण्डाईन पति लाला मुण्डा ग्राम-सावड़ा, पोस्ट-सावड़ा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
सावड़ा	148	17	286	0.31
			289	0.21
			292	0.51
			294	0.25
				1.28

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 154 दिनांक 13.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।